[स्थायी एवं रक्षणीय]

[बोर्ड के आदेश सं० ४११६ बी० सा० १२-८-११ में अनुमोदित]

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण।

SAR 54/2005-16

सिविल विभाग

ओमप्रकाश, रविप्रकाश आदि
सिलना रवि गाईन

श्याम सुन्दर वगैरह

बनाम

CNC

Notice upload 22/2/2018

		1/3/2021		14.6.17
		19-5-2021	09-6-19	19.7.17
		1/8/2021	7.8.19	21-8-17
			25.5.19	13-9-17
			15/12/2019	18.10.17
			22.4.20	28
			03-02-21	29-11-17
				10-1-18
				7.2.18
				14.3.18
				18.4.18
				30.5.18
				5.7.18
				9.1.19
				13-2-019
				13-3-019

आदेशार्थ

आदेश- पत्रक
देखे नियम 129 अभिलेख हस्तक

आदेश पत्रक -ता0 .... से .... श्री ओगनिकास खड़िया (विशेष खड़िया)

जिला- सिमडेगा, वेहया ... S.A.R. 5th/2009-10 .... (विरुद्ध) सन्-2009

केश का प्रकार:- बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969

बनाम
श्री श्यामसुन्दर प्रधान

आदेश की क्र सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
27/10/09	श्री ओगनिकास खड़िया पिता स्व0 ओरेया खड़िया साकिन ठेठाईटांगर थाना ठेठाईटांगर जिला- सिमडेगा ने आवेदन पत्र दिया है कि निम्नलिखित जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी श्री श्यामसुन्दर प्रधान पिता स्व0 दुखा प्रधान साकिन ठेठाईटांगर थाना ठेठाईटांगर जिला-सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अन्तर्गत वापस दिलाने का अनुरोध करते है। ग्राम: ठेठाईटांगर — खाता नं0: 222 — प्लाट नं0: 3219 — रकबा: 0.04 डिसमिल उभय पक्ष को सूचित करें। अभिलेख दिनांक 27/11/09 को उपस्थापित करें। 27/10/09 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।	22.5.17 14.6.17

Scanned by CamScanner

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

वाद सं0–एस0ए0आर0 54/2009–10

दिनांक............................

जोवाकिम खड़िया(मृत) सिलेना खड़ियाईन
बनाम
श्याम सुन्दर बड़ाईक

आदेश

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक जोवाकिम खड़िया(मृत) सिलेना खड़ियाईन, पिता–स्व0 जोसेफ खड़िया, ग्राम–ठेठईटांगर, थाना–ठेठईटांगर, जिला–सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदक ने लिखा है कि विपक्षी श्याम सुन्दर बड़ाईक, पिता–दुठा बड़ाईक, ग्राम–ठेठईटांगर, थाना–ठेठईटांगर, जिला–सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया हैं। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के तहत् वापस दिलवाने का अनुरोध किया हैं। वाद सं0–54/2009–10 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि की विवरणी निम्नवत हैं:–

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
ठेठईटांगर	222	3219	0.04 एकड़

वाद की कार्यवाही प्रारंभ किया गया। इस न्यायायल के पत्रांक 96(ii)/विधि, दिनांक 27.09.2009 के द्वारा अंचल अधिकारी, ठेठईटांगर के प्रतिवेदन अनुसार प्रश्नगत् भूमि पर अवैध दखल–कब्जा है। विपक्षी का 1960 से 0.05¾ एकड़ में से कब्जा हैं। जिसमें से 0.04 एकड़ भूमि में मकान वाला भूमि का एस0ए0आर नं0–43/84 दिनांक 22.01.1985 द्वारा मौजा–ठेठईटांगर, प्लॉट सं0–3219, रकबा–0.04 एकड़ पूर्व में ही डिग्री नकल के बाद दाखिल खारिज वाद सं0–115RXXVII/87-88 हैं जो इलियस खड़िया वल्द बुधु खड़िया द्वारा एस0ए0आर0 हुआ था। शेष 0.05¾ एकड़ अवैध दखल हैं। विपक्षी का शेष 0.01¾ एकड़ में सिर्फ बारी हैं, एवं उक्त भूमि आवेदक श्री जोवाकिम खड़िया के हिस्से का नहीं हैं। बल्कि स्व0 इलियस खड़िया का पुत्र राजेश केरकेट्टा (खड़िया) का हिस्सा हैं। खतियानी रैयत बुधु खड़िया वल्द ठुठु खड़िया पे0. गुड़रू खड़िया साकिन देह हैं। आवेदक खतियानी रैयत बुधु खड़िया को पोता एवं पंजी II रैयत जोसेफ का पुत्र हैं। रजिस्टर II के रैयत जोसेफ खड़िया वो इलियस खड़िया पे0. बुधु खड़िया वो ठुठु खड़िया वल्द गुडरू खड़िया। उभय पक्षों को संबंधित वाद के सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। पुनः दिनांक 15.05.2012 को उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। दिनांक 11.04.2017 को उभय पक्षों को नोटिस निर्गत। नोटिस तामिला के क्रम में न्यायालय को बतलाया गया कि जोवाकिम खड़िया, पिता–स्व0 जोसेफ खड़िया, ग्राम–ठेठईटांगर, थाना–ठेठईटांगर, जिला–सिमडेगा की मृत्यु हो गई हैं। अतः नोटिस तामिला वापस (चौकिदार मो0 कालिम अंसारी दिनांक 30.04.2017)। दिनांक 14.06. 2017 से 19.05.2021 तक लगातार वाद की सुनवाई के क्रम में न्यायालय में अनुपस्थित रह रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरूचि नहीं हैं। इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय को बर्बाद करने का हैं। ऐसे स्थिति में वाद सं0–54/2009–10 को संचिकास्त किया जा सकता हैं। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित [illegible] हैं।

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR
Date: 2022.02.07 15:58:12 +05:30
Location: 192.168.0.105

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

Scanned by CamScanner